

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

कार्यालय : बी-4/184, चित्रकूट योजना, प्रताप स्टेडियम के पास, जयपुर-302 021 फोन : 0141-2440726
Office : B-4/184, Chitrakoot Scheme, Near Pratap Stadium, Jaipur-302 021 Ph. : 0141-2440726

सन्दर्भ संख्या -उ.क्षे.1/जयपुर/

दिनांक -08.01.2019

सेवा में,

रामबाबू शर्मा पुत्र श्री पातीराम शर्मा,
जिंदल मैरेज हॉल के सामने,
गोमती नगर, ब्लॉक C,
करौली

विषय: CPIO के सही पते हेतु ।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है की आपके द्वारा भेजी गयी RTI को निम्न पते पर भेजे :

CPIO,

Powergrid Corporation Of India Limited,

B-9 Qutub Institutional Area,

Katwaria Sarai,

New Delhi

RTI संबन्धित अधिकारी (CPIO, POWERGRID) दिल्ली कार्यालय में कार्यरत हैं , आपके द्वारा जयपुर कार्यालय में भेजी गयी RTI को इस पत्र के साथ वापस किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है की उपरोक्त दिये हुए पते पे भेजने का कष्ट करे ।

धन्यवाद ।

प्रेषक

मनीष झरवाल

प्रबंधक, जयपुर

भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पन्नास रुपये का डाक टिकट पञ्चाशद् रूप्यकाणि

03

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



PAY TO सहायक सूचना अधिकारी
पाठक संस्थान, जयपुर को
पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 50

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

from

रामबाबू शर्मा डाबरी पाटीराम शर्मा
जिन्टल मेडिजल हॉस्पिटल सामने जोमरी नगर, जयपुर

के डाकघर में अदा करें।

वैधता- जारी करने के महिने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितीय कमीशन के भुगतान जारी करने के महिने की अंतिम दिन से 36 महिने।

Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

91G 570561



सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (1))

प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

कार्यालय :- पावर बिट करपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जयपुर

(1) आवेदक का पूरा नाम

शम्भू शर्मा डी पारीराम शर्मा

(2) पता :- एम पिंदल मेडिज हॉल के पास जोमती नगर व्याकुट सीन डंड

खोली तहसील जिला खोली (राजग)

(3) चाही गई सूचना की विशिष्टिया :-

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है पावर बिट करपोरेशन ऑफ

इंडिया लिमिटेड 765/400/200 के सी. उपबन्ध, सी. 17 रा. राजमार्ग 75, शम्भू अड्डा

सूचना की प्रकृति मुआवजा (इको) की इटाई करने के स्वयं में

सूचना की अवधि 04/07/2015

चाही गई सूचना का विवरण पावर बिट करपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कोटे गये

एक 2 आर के पेड 452, 325 का के दिनांक 4/07/2015 को कोटे गये कोट आपकी ओर से मित्रपत्र इन्चारी श्री राम लीला ने मुआवजा प्रमाण पत्र दिया। इको पेडो का मुआवजा शशि खातेदार/इच्छु को आज दिनांक तक नहीं दी क्यों? विस्तर से जानकारी

(4) क्या फीस देने का सबूत संलग्न कर दिया है? चाहिये। एवं मुआवजा शशि दिम्पवाची जावे।

1. आवेदन शुल्क रुपये 50/-

डीडी/बैंक्स चैक न. Postal order 914570561

बैंक का नाम इच्छु वर अनाप बंडी खोली

2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क

3. फोटो प्रति शुल्क

(5) यदि आवेदक बीपीएल परिवार से है तो दस रुपये की फीस देय नहीं है।

बीपीएल क्रमांक संख्या

स्थान : खोली

mob-9928708960

दिनांक : 04/01/19

आवेदक के हस्ताक्षर

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

765/400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र, किमी. 17, रा. राजमार्ग-75, ग्राम अडुपुरा,
पोस्ट, रौरा, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)



645

वृक्ष (क्षों) की कटाई / काँट-छाँट / फसल (लों) को हटाने के संदर्भ में
मुआवजा हेतु प्रमाण-पत्र

सी.सी.टी.सी.सं.: WRTS/GWL/TLC/C-G

765 के.व्ही. पिछोर - ग्वालियर परिपथ के टावर स्थल सं.के मध्य

(1) मैं/हम/श्री/श्रीमती आत्मज/पत्नी ग्राम तहसील
जिला इसके द्वारा कथन और घोषणा करते हैं कि वृक्ष/फसल फील्ड सर्वे नं. ग्राम
तालुका जिला में स्थित है, जो मेरे/हमारे स्वामित्व की है, काटे गये/क्षतिग्रस्त हुए वृक्ष / फसल
संबंध में वास्तविक हानि का मुआवजा जिसका मूल्यांकन एविजक्यूटिव मजिस्ट्रेट / राजस्व विभाग / समुचित सरकार द्व
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, द्वारा किया गया है जो पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा देय है, मुझे / हमें स्वीकार्य है।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित वृक्ष / फसल पावरग्रिड के इंजीनियर के आदेश से गिराये / क्षतिग्रस्त किये
थे, और उसका कच्चा मुझे / हमें सौंपा जा चुका है.

(3) काटे गये वृक्ष / काटी / क्षतिग्रस्त की गई फसल का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	वृक्ष/फसल का/के प्रकार	वृक्ष (क्षों) की ऊँचाई व मीटाई/फसल (लों) का ब्यौरा	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	झाड़ - 45 - 2	450, 325 cm	

(4) पुनः यह प्रमाणित कर वचन दिया जाता है कि ऊपर लिखित वृक्ष (क्षों) / फसल (लों) के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई
दावा करता है तो मैं/ हम उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस संबंध में यदि पावरग्रिड को कोई हानि होती है तो मैं /
उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे.

(5) यह भी विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि ऊपर पैरा-3 में दर्शाए गए/गई वृक्ष (क्षों) / फसल (लों) की हानि / क्षति
अतिरिक्त और सिवाय मुझे /हमें और कोई हानि या क्षति नहीं हुई है.

स्वामी के हस्ताक्षर

(Signature)

दिनांक : 4/09/2015
पावरग्रिड का अनुमोदन

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

के लिए और इसकी ओर से *(Signature)*

हस्ताक्षर : *(Signature)*

नाम : *(Signature)*

पदनाम : *(Signature)*

दिनांक : *(Signature)*

RR170549605IN



To

प्रेषण: -

रामबाबू शर्मा S/O श्रीपतीराम शर्मा
R/o जिंदल बैरिज हाल के पास औमली नगर
उनाछ-C तीन वड कुशौली तहसील व जिला
कुशौली (बाजण)

सहायक सूचनाधिकारी पावरग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
184, नोबिया मार्ग सेक्टर नं-6 चित्तकूट
जयपुर (राजण)

(इस लाइन के नीचे न तो लिखें और न ही मुद्रित करें Do not write or print below this line)

110

पिन PIN

3	0	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---